

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ

मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-2/2017/310-Y
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31.03.2017

समस्त

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय:- संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें के अन्तर्गत रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों हेतु आयोजित चयन परीक्षा के संबंध में संविदा पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मचारियों के संबंध में।

संदर्भ:- प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह - पांच अन्तर्गत चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 27.02.2017 एवं संशोधित रूलबुक एवं संचालनालय का पत्र क्रमांक 300 वाय दिनांक 25.03.2017।

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके अधिनस्थ जिले में कार्यरत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2002 के तहत नियुक्त संविदा पैरामेडिकल (रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा लेब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं नेत्र सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी) के तहत कार्यरत संविदा लेब टेक्नीशियन एवं सीनियर ट्यूबर क्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर तथा एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को प्रमाण पत्र तत्काल जारी किये जाने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(डॉ. सी.बी. सोलंकी)

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-2/2017/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश।
2. परियोजना संचालक मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति भोपाल, 01 अरेरा हिल्स तिलहन संघ भवन भोपाल मध्यप्रदेश की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल।
5. निज सहायक स्वास्थ्य आयुक्त स्थानीय कार्यालय।

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-2/2017/299-Y
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25.03.2017

समस्त

क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश।

विषय:- संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ के अन्तर्गत रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, एवं फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पदों हेतु आयोजित चयन परीक्षा के संबंध में संविदा पर कार्यरत पैरामेडिकल कर्मचारियों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा समूह - पांच अन्तर्गत चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 27.02.2017 एवं संशोधित रूलबुक।

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित विज्ञापन के माध्यम से समूह-पांच अन्तर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधीन पैरामेडिकल के पदों (रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2) की चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर रूल बुक एवं संशोधित रूलबुक का प्रकाशन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट www.vyapam.nic.in पर किया गया है।


संशोधित रूलबुक के नोट 2 में उल्लेखित अनुसार - म.प्र. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2002 के तहत नियुक्त संविदा पैरामेडिकल (रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2) अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत लेब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं नेत्र सहायक को 02 (अंक) प्रतिवर्ष के मान से अधिकतम 10 (अंक) का अतिरिक्त वेटेज/बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ जिलों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम 2002 के तहत नियुक्त संविदा पैरामेडिकल (रेडियोग्राफर, प्रयोगशाला तकनीशियन, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड-2) तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा लेब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड-2 एवं नेत्र सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को संलग्न प्रमाण पत्र अनुसार संविदा कर्मचारियों को तत्काल प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें साथ संविदा कर्मचारियों को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड एवं एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल का निरंतर अवलोकन हेतु निर्देशित करे ताकि प्रमाण पत्र संबंधी प्रविष्टिया आवेदन पत्र में सम्मिलित हो सके। प्रमाण पत्र संबंधी प्रविष्टियां दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

तत्पश्चात आपके संभाग के अधीन जिलों में कार्यरत संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों को जारी प्रमाण पत्र की प्रति एवं संविदा कर्मचारी द्वारा ऑन-लाईन प्रस्तुत आवेदन की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र-एक एवं प्रपत्र-दो में संभाग की एकजाई जानकारी दिनांक 07.04.2017 तक आपके कार्यालय के स्थापना लिपिक के हस्ते (हार्ड एवं साफ्ट कापी में) संचालनालय में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समय-सीमा में की जाना सुनिश्चित करें, जानकारी के त्रुटिपूर्ण अथवा समयावधि में प्राप्त नहीं होने के कारण चयन प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की स्थिति में आप पूर्ण रूप से उत्तरदाई होंगे।


संलग्न - उपरोक्तानुसार


(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक

पृ. क्रमांक/2/अवि./सेल-2/2017/

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की और भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार जानकारी सक्षम स्तर से प्रेषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश ।


अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिलामध्यप्रदेश

क्रमांक / 2017 /

दिनांक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी / श्रीमती
पुत्र / पुत्री / पत्नि श्री इस कार्यालय के
अधीनस्थ "मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अलिपिकीय संवर्ग
संविदा सेवा (नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2002 के तहत लेब
टेक्नीशियन / रेडियोग्राफर / नेत्र सहायक / फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद
पर दिनांक से आज दिनांक
तक निरंतर कार्यरत है।

अथवा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संविदा पर लेब टेक्नीशियन / नेत्र
सहायक / फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर दिनांक
से आज दिनांक तक निरंतर कार्यरत है।

हस्ताक्षरकर्ता
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी
का नाम व पद मुद्रा

